लोक सभा सचिवालय

शोध एवं सूचना प्रभाग

विधायी बुलेटिन

ब्रीफिंग सं. 3/2013/एलसी

अप्रैल 2013

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011

पृष्ठभूमि

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें वर्तमान में विमानपत्तनों, सड़कों जैसी अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना करने, विश्वविद्यालयों/वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना करने बुनियादी सुविधाओं, जल/स्वच्छता कार्यों/अस्पतालों, उद्योग और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जित करती हैं। भूमि की अर्जन प्रक्रिया, भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 के उपबंधों के अधीन सम्पादित की जाती है जो लोक प्रयोजनों हेतु और कंपनियों के लिए भी भूमि के अर्जन और ऐसे अर्जन पर दिए जाने वाले मुआवजे की धनराशि के निर्धारण की विद्यमान सामान्य विधि है।

हमारे संविधान के अंतर्गत भूमि राज्य का विषय है किन्तु भूमि अर्जन एक समवर्ती विषय है अर्थात् केंद्र और राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। भूमि अर्जन अधिनियम 1984 में समय-समय पर (स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात् की अवधि में) संशोधन किया गया है। अब तक इस अधिनियम में केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सत्रह बार संशोधन किया गया है। यह अधिनियम अब पुराना पड़ गया है क्योंकि इसे लागू हुए 118 वर्ष बीत चुके हैं और इसमें प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के मुद्दों का उल्लेख ही नहीं किया गया है।

भूमि अर्जन विशेषकर बहुफसली सिंचित भूमि के बारे में हाल के वर्षों में लोगों को आपत्तिक चिंता रही है। इसके अतिरिक्त, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के मुद्दों से उपयुक्त रूप से निपटने हेतु कोई केंद्रीय कानून नहीं है।

6 दिसम्बर, 2007 को दो विधेयक—भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2007 लोक सभा में पुर: स्थापित किए गए थे। इन विधेयकों को ग्रामीण विकास संबंधी विभागों से संबद्ध स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इन विधेयकों की जांच की गई और स्थायी समिति द्वारा इन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। इन विधेयकों पर विचार किया गया और 25 फरवरी 2009 को लोक सभा द्वारा इन्हें पारित किया गया और विचार करने हेतु इन्हें राज्य सभा के पास भेजा गया। तथापि, दोनों विधेयक चौदहवीं लोक सभा का विघटन होने के कारण व्यपगत हो गए।

चूंकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन एक दूसरे के पूरक हैं इसलिए भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के मुद्दों से निपटने के लिए एक एकीकृत विधान बनाने की बात सोची गई। पंद्रहवीं लोक सभा में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (एलएआरआर) विधेयक ग्रामीण विकास मंत्री, श्री जयराम रमेश द्वारा 7 सितम्बर 2011 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया। विधेयक में भूमि अर्जन से निपटने के लिए एकीकृत विधान का उपबंध है और न्यायोचित और निष्पक्ष मुआवजे का उपबंध है और इसमें विधेयक प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्बों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु का उपबंध किया गया है।

यह विधेयक ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति की सभापति, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने विधेयक के संबंध में समिति का प्रतिवेदन 17 मई 2012 को लोक सभा में प्रस्तुत किया और उसी दिन यह प्रतिवेदन राज्य सभा में रखा गया।

अन्य देशों में भूमि अर्जन*	
अमेरिका	प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अर्जन के अत्यधिक विवादास्पद होने और अनेक राज्यों के उच्चतम न्यायालयों, जिनमें ओकलाहोमा, दक्षिण कैरोलिना, इलिनोइस और मिशीगन शामिल हैं, द्वारा प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अर्जन पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात् तत्कालीन राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश ने 23 जून, 2006 को कार्यकारी आदेश सं. 13406 जारी किया जिसमें सरकार को यह आदेश दिया गया था कि सरकार सामान्य लोगों की भलाई के प्रयोजन से, न कि प्राइवेट पार्टियों को आर्थिक हित को बढ़ाने के लिए संपत्ति का स्वामित्व देने और ली गई संपत्ति का उपयोग करने के प्रयोजन से, भूमि का अर्जन करे।
कनाडा	कनाडा का स्वत्वहरण अधिनियम 1985 स्वत्वहरण शासन को भूमि अपने अधिकार में लेने की अनुमति देता है किंतु केवल आपवादिक मामले के आधार पर जहां सार्वजनिक कार्य अथवा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शासक द्वारा वास्तविक अधिकार अपेक्षित हैं, किसी प्राइवेट कंपनी के वाणिज्यिक हित को बढ़ाने के लिए नहीं।
यूरोपीय संघ	राज्य कानूनों में उसके द्वारा निजी उद्यमों के लिए भूमि के अर्जन हेतु कोई उपबंध नहीं है।
जापान	टोक्यो के नरिता इंटरनेशनल एअरपोर्ट का विस्तार करने हेतु महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना हेतु भी आस-पास के क्षेत्र की भूमि केवल गहन बातचीत के जरिए ही हासिल की गई थी और अपनी भूमि बेचने के इच्छुक लोगों को मुआवजे की बहुत बड़ी राशि की पेशकश की गई थी।
आस्ट्रेलिया	उत्तरी क्षेत्रों में भूमि अर्जन का उपबंध है लेकिन इसका बुनियादी उद्देश्य स्थानीय आदिवासी लोगों के हितों और उनके भूमि के सामुदायिक स्वामित्व के परम्परागत हितों की रक्षा करना है।
चीन	सभी भूमि पर राज्य का स्वामित्व है और इसलिए यहां राज्य अर्जन की अपेक्षा आवंटन करता है और भूमि के प्रयोजनों का और जिन्हें भूमि उपलब्ध कराई जानी है, उनका निर्धारण करता है।

* ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011'' के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी डीआरएससी का प्रतिवेदन।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 की मुख्य विशेषताएं

(7 सितम्बर 2011 को यथा पुर:स्थापित)

- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का समाधान करने हेतु एकल व्यापक विधेयक।
- ''लोक प्रयोजन'' को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, ताकि अर्जन में सरकार का हस्तक्षेप सीमित हो।
- शब्द ''प्रभावित कुटुम्ब'' को परिभाषित करता है जिसमें भूमि के स्वामी और जीविका खोने वाले शामिल हैं।
- महत्वपूर्ण प्रयोजन, अवसंरचना और उद्योग; प्राकृतिक आपदाओं; पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन; और रेलवे; राजमार्गों; पत्तनों; विद्युत और सिंचाई प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन हेतु किसी लोक सहमति की आवश्यकता नहीं है।
- अत्यावश्यकता खंड के अंतर्गत अर्जन को प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाले संकट काल की स्थिति में राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा प्रयोजनों और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की जरूरतों के लिए भी सीमित रखा गया है।
- विधेयक के उपबंधों से 16 केंद्रीय अधिनियमों को छूट की मांग की गई है।
- विस्थापितों को अधिक मुआवजा, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पैकेज।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित की गई भूमि का बाजार कीमत का चार गुना मुआवजा।
- शहरी क्षेत्रों में बाजार कीमत का दो गुना मुआवजा।
- कुल मुआवजे का शत-प्रतिशत तोषण।
- कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित कुटुम्बों की सहमति आवश्यक है यदि भूमि का अर्जन प्राइवेट कंपनियों के लिए और पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के लिए किया जाए।
- शहरी क्षेत्रों में 20 प्रतिशत विकसित भूमि प्रभावित कुटुम्बों को दी जाएगी।
- कुल बहुफसली सिंचित भूमि से अधिकतम 5 प्रतिशत भूमि किसी जिले में इस शर्त के साथ अर्जित की जा सकती है कि इतनी ही बंजरभूमि विकसित की जाएगी।

- कोई अर्जित भूमि यदि 10 वर्ष की अवधि के लिए अनुपयोजित पड़ी रही हो तो वह समुचित सरकार के भूमि बैंक के पास आ जाएगी ताकि उसका उपयोग किसी अन्य लोक प्रयोजन परियोजना के लिए किया जा सके। ऐसे मामलों में मूल्यांकित कीमत की 20 प्रतिशत धनराशि की हिस्सेदारी भूमि के मूल स्वामियों के साथ की जाएगी।
- ऐसे सभी मामलों जहां सरकार लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जित करना चाहती है, में सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जाएगा।
- प्रति प्रभावित कुटुम्ब के एक सदस्य के लिए अनिवार्य रोजगार जहां परियोजना के जरिए नौकरियों का सृजन किया जाता है अथवा प्रभावित कुटुम्ब को 5 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान अथवा प्रभावित परिवार को 20 वर्ष तक दो हजार रुपये प्रतिमाह।
- प्रत्येक ''प्रभावित कुटुम्ब'' को 50 हजार रुपये का एकमुश्त पुनर्व्यवस्थापन भत्ता और परिवहन के लिए 50 हजार रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
- प्रत्येक विस्थापित कुटुम्ब को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह की दर पर निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिए।
- मुआवजा और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों में विलम्ब को रोकने के लिए समय-सीमा आरंभ की जाए।
- पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुटुम्ब विभिन्न अतिरिक्त लाभ के हकदार होंगे।
- पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में 25 अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
- यह विधेयक भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का निरसन करता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 के उपबंधों से केंद्रीय अधिनियमों को छूट

प्रस्तावित अधिनियम, निम्नलिखित 16 अधिनियमों के अंतर्गत किए गए भूमि अर्जन पर लागू नहीं होगा:

1. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958
2. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962
3. छावनी अधिनियम, 2006
4. दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948
5. भारतीय ट्राम अधिनियम, 1886
6. भूमि अर्जन (खान) अधिनियम, 1885
7. भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978
8. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956
9. पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962
10. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952
11. विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948
12. विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005
13. कोयलाधारक क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम, 1957
14. विद्युत अधिनियम, 2003
15. रेल अधिनियम, 1989
16. रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903

एक. परिभाषा

1. *लोक प्रयोजन*

लोक प्रयोजन में निम्नलिखित सम्मिलित है:

(एक) रणनीतिक प्रयोजनों अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु भूमि;

(दो) सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या निगमों द्वारा रेल, राजमार्गों, पत्तनों, विद्युत और सिंचाई प्रयोजनों हेतु भूमि;

(तीन) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए भूमि;

(चार) गांवों या शहरी स्थलों के नियोजित विकास अथवा सुधार या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के आवासीय प्रयोजनों हेतु भूमि;

(पांच) सरकार द्वारा प्रशासित शैक्षणिक, कृषि, स्वास्थ्य और अनुसंधान योजनाओं अथवा संस्थानों हेतु भूमि;

(छह) निर्धन अथवा भूमिहीन व्यक्तियों अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के आवासीय प्रयोजनों हेतु भूमि;

(सात) निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु जनहित में भूमि:

- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन जिनका लाभ अधिकांशत: आम जनता को पहुंचता हो; अथवा
- आम जनता से जुड़ी वस्तुओं के उत्पादन अथवा जन सेवाओं के उपबंधों हेतु सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएं;

(आठ) आम जनता हेतु वस्तुओं के उत्पादन या जन सेवाओं के उपबंधों हेतु निजी कंपनियों के लिए जनहित में भूमि।

पैरा (सात) और (आठ) में उल्लिखित मामलों में पूर्व सूचना प्रक्रिया के माध्यम से कम से कम 80 प्रतिशत परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की सहमति प्राप्त की जाएगी।

2. *प्रभावित कुटुंब*

प्रभावित कुटुंब के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है:

भू-स्वामी:

- ऐसा कुटुंब जिसकी भूमि/अन्य स्थावर संपत्ति का अर्जन किया गया है;
- ऐसे व्यक्ति जिन्हें केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भूमि सौंपी गई है;
- वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त (जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी) अधिकार धारक।

आजीविका खोने वाले:

- किराए पर रहने वाले ऐसे कुटुंब, कृषि श्रमिक बटाईदार जिनके स्वामित्व में कोई भूमि नहीं है परन्तु, पिछले तीन वर्ष के दौरान जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अर्जित की जा रही भूमि पर निर्भर है;
- वन उपज बटोरने वाले, आखेटक, मत्स्यिक जन समूह और केवट सहित ऐसा कुटुंब पिछले तीन वर्षों से जिनकी आजीविका वनों या जलराशियों पर निर्भर है;
- ऐसा कुटुंब जो कि शहरी क्षेत्रों में अर्जित की जा रही भूमि पर पिछले तीन वर्षों से निवास कर रहा है; और
- ऐसा कोई कुटुंब जिसकी आजीविका पिछले तीन वर्षों से मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में अर्जित की जा रही भूमि पर निर्भर है।

3. *कृषि भूमि*

"कृषि भूमि" से निम्नलिखित के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई भूमि अभिप्रेत है—

(एक) कृषि या उद्यान भूमि

(दो) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन उद्योग, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, पशुधन का प्रजनन या नर्सरी में उगने वाले औषधीय जड़ी बूटियां;

(तीन) फसल, वृक्ष, घास उगाना या उद्यान उत्पादन; और

(चार) पशुओं के चारागाह के लिए उपयोग में लाई गई भूमि।

दो. खाद्य सुरक्षा रक्षोपाय

- विधेयक में यह उपबंध है कि प्रमाण्य अंतिम उपाय के अतिरिक्त बहुफसली सिंचित भूमि का अर्जन नहीं किया जाएगा जो कि किसी भी दशा में कुल मिलाकर उस जिले में कुल बहुफसली सिंचित क्षेत्र के पांच प्रतिशत से अधिक न हो।
- जब कभी बहुफसली सिंचित भूमि का अर्जन किया जाए तो खेती योग्य बंजर भूमि के समान क्षेत्र को कृषि के प्रयोजनों के लिए विकसित किया जाएगा।
- ऐसे जिलों जिनमें कुल बुआई क्षेत्र उस जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र के पचास प्रतिशत से कम है, में भूमि का अर्जन सभी परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर उस जिले की कुल शुद्ध बुआई क्षेत्र के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

तीन. सामाजिक समाघात निर्धारण

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक में सामाजिक समाघात निर्धारण (एसआईए) को अनिवार्य बनाया गया है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि जब कभी सरकार को लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करना हो तो वह ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में उसके समकक्ष निकायों के परामर्श से सामाजिक समाघात निर्धारण संबंधी अध्ययन कराएगी।

प्राथमिक जांच में अन्य बातों के साथ-साथ जनहित के स्वरूप का निर्धारण, प्रभावित कुटुंबों की संख्या, कुटुंबों पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन, परियोजना की कुल लागत और लाभ के साथ-साथ सार्वजनिक और सामुदायिक संपत्तियों, परिसंपत्तियों और विशेष रूप से सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, जन निकासी, स्वच्छता, पेयजल स्रोत, सार्वजनिक सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, विद्यालय और शैक्षणिक या प्रशिक्षण सुविधाएं, आंगनवाड़ी, बच्चों के लिए पार्क, पूजा स्थल, पारंपरिक जनजातीय संस्थाओं और शमशान तथा कब्रिस्तान के लिए भूमि जैसे विभिन्न संघटकों पर परियोजना के पड़ने वाले प्रभाव आदि सम्मिलित होंगे। तत्पश्चात् दो गैर-सरकारी समाज वैज्ञानिकों, पुनर्वासन संबंधी दो विशेषज्ञों और परियोजना संबंधी विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ वाले एक विशेषज्ञ समूह द्वारा एसआईए रिपोर्ट का आकलन किया जाएगा।

जिन मामलों में 100 एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन किया जाना है, उनमें मुख्य सचिव द्वारा गठित समिति द्वारा विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की आगे जांच की जाएगी।

तथापि, विधेयक में अत्यावश्यकता खंड का प्रयोग करके भूमि का अर्जन किए जाने पर एसआईए अध्ययन से छूट का प्रावधान है।

अत्यावश्यकता खंड

अत्यावश्यकता खंड का प्रयोग केवल राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा प्रयोजनों; अथवा प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली आपातकालीन स्थिति में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आवश्यकताओं के लिए भूमि का अर्जन करते समय ही किया जा सकता है।

इस संबंध में यह अनुबंधित किया गया है कि अत्यावश्यकता खंड के अंतर्गत भूमि का कब्जा लेने से पहले मुआवजे की 80 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जाएगा। ऐसी भूमि और संपत्ति जिसके अर्जन हेतु इस खंड के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ की गई है के संबंध में भूमि के बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान भी किया जाएगा।

चार. अधिसूचना और अर्जन

जब कभी सरकार की किसी भूमि का अर्जन करने की मंशा हो तो उसे सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के मूल्यांकन की तिथि से 12 माह के भीतर प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित करनी होगी।

किसी भूमि से सम्बद्ध कोई व्यक्ति इस संबंध में सुनवाई का अवसर प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर कलक्टर के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। तत्पश्चात्, यदि सरकार इस बात के प्रति संतुष्ट हो जाती है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए किसी विशेष भूमि की आवश्यकता है तो वह इस संबंध में एक घोषणा जारी करेगी। ऐसी घोषणा एक निर्णायक साक्ष्य होगी कि भूमि किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और ऐसी घोषणा करने के पश्चात् सरकार भूमि का अर्जन कर सकेगी।

पांच. भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण

कलक्टर धारा 19 के अंतर्गत घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 2 वर्षों की अवधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा और यदि उस अवधि के भीतर कोई अधिनिर्णय नहीं किया जाता है तो भूमि अर्जन की समस्त प्रक्रियाएं व्यपगत हो जाएंगी।

कलक्टर भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए निम्नलिखित का आकलन करेगा:

(क) विक्रय विलेख के रजिस्ट्रीकरण हेतु भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम भूमि मूल्य, यदि कोई हो;

(ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय मूल्य और इनमें से जो भी अधिक है की संगणना की जाएगी। **इस प्रकार गणना किया गया बाजार मूल्य, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दोगुणा होगा।**

अर्जित की जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण करने के पश्चात् भूमि से संलग्न सभी आस्तियों को सम्मिलित करके भूमि के स्वामी को दिए जाने वाली संपूर्ण रकम की गणना की जाएगी। तत्पश्चात्, कलक्टर प्रदान की जाने वाली कुल प्रतिकर की रकम का निर्धारण करने पर अंतिम अधिनिर्णय जारी करेगा। इस शत प्रतिशत प्रतिकर रकम के बराबर तोषण की रकम अधिरोपित की जाएगी। तोषण की रकम किसी व्यक्ति जिसकी भूमि का अर्जन किया गया है को देय प्रतिकर की रकम के अतिरिक्त होगी।

कलक्टर, अनुसूची-1 में यथाविनिर्दिष्ट देय प्रतिकर की रकम और प्रतिकर की रकम की अदायगी का ब्यौरा देते हुए पृथक अधिनिर्णय जारी करेगा।

छह. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी

भू-स्वामियों और आजीविका खोने वालों (भूमिहीन व्यक्ति सहित) हेतु विधेयक की अनुसूची-2 में एक व्यापक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) पैकेज दिया गया है जो कि अर्जित भूमि हेतु अनुसूची-1 में प्रदान किए गए प्रतिकर के अतिरिक्त है।

- यदि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अर्जन के अंतर्गत कोई आवास चला जाता है तो 'इंदिरा आवास योजना' विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित आवास प्रदान किया जाएगा।
- यदि शहरी क्षेत्रों में भूमि अर्जन के अंतर्गत कोई आवास चला जाता है तो एक निर्मित आवास प्रदान किया जाएगा जो कि कुर्सी क्षेत्र में 50 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।
- किसी भी मामले में परियोजना प्रभावित कुटुंब की प्राथमिकता के अनुसार आवास के बदले आवास की कुल लागत के बराबर धनराशि प्रदान की जा सकती है।

  (यह लाभ उन व्यक्तियों को भी दिया जाएगा जो कि आवास विहीन हैं और पिछले तीन वर्षों से लगातार उस क्षेत्र में रह रहे हैं)
- यदि भूमि का अर्जन किसी सिंचाई परियोजना के लिए किया जाता है तो परियोजना के कमान क्षेत्र में प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को कम से कम एक एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी।
- विस्थापित होने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को परिवहन के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता के रूप में 50,000/- रुपए की धनराशि दी जाएगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को 50,000/- रुपए का एक मुश्त 'पुनर्व्यवस्थापन भत्ता' भी दिया जाएगा।
- एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक कुटुंब को प्रतिमाह 3000/- रुपए का भरण पोषण भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त प्रभावित कुटुंब को निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प चुनने का भी हक होगा:

  (क) परियोजना के माध्यम से यदि रोजगार का सृजन होता है तो प्रत्येक प्रभावित कुटुंब में से एक सदस्य को अनिवार्य रोजगार; अथवा

  (ख) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को 5 लाख रुपए का एकमुश्त भुगतान; अथवा

  (ग) मुद्रास्फीति हेतु समुचित सूचकांक के आधार पर 20 वर्षों तक वार्षिकी के रूप में प्रत्येक कुटुंब को प्रति माह 2000/- रुपए का भुगतान।
- यदि भूमि का अर्जन शहरीकरण के लिए किया जाता है तो अर्जित की गई भूमि के अनुपात में विकसित भूमि का 20 प्रतिशत भाग भू-स्वामियों के लिए आरक्षित करके उन्हें प्रदान किया जाएगा।

सात.पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

कलक्टर अनुसूची-2 में उपबंधित हकदारियों के निबंधनानुसार प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के लिए एक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय जारी करेगा।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय में निम्नलिखित सभी सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(क) कुटुंब को संदेय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन रकम;

(ख) उस व्यक्ति जिसको पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय में की रकम अंतरित की जाती है, का बैंक खाता संख्यांक;

(ग) विस्थापित कुटुंबों की दशा में, आबंटित किए जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टियां;

(घ) विस्थापित कुटुंबों को आबंटित भूमि की विशिष्टियां;

(ङ) विस्थापित कुटुंबों की दशा में, एक मुश्त भरण पोषण भत्ते और परिवहन भत्ते की विशिष्टियां;

(च) पशु शेड और छोटी दुकानों के लिए संदाय की विशिष्टियां;

(छ) शिल्पकारों और छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त रकम की विशिष्टियां;

(ज) विस्थापित कुटुंबों के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले अनिवार्य रोजगार के ब्यौरे;

(झ) ऐसे किन्हीं मत्स्यन अधिकारों की विशिष्टियां, जो अन्तर्वलित हों;

(ञ) प्रदान की जाने वाली वार्षिकी और अन्य हकदारियों की विशिष्टियां; और

(ट) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले विशेष उपबंधों की विशिष्टियां।

समय-सीमा

विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि अधिकृत व्यक्तियों को प्रतिकर और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों का भुगतान निम्नलिखित समय-सीमा में किया जाए:

- अधिनिर्णय की तिथि से 3 माह की अवधि के भीतर प्रतिकर की रकम का भुगतान किया जाए;
- आर्थिक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) हकदारी अधिनिर्णय की तिथि से 6 माह के भीतर प्रदान की जाए;
- अवसंरचनात्मक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी अधिनिर्णय की तिथि से 18 माह के भीतर प्रदान की जाए;
- पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के पूरा हुए बिना कोई अनैच्छिक विस्थापन न किया जाए;
- सिंचाई अथवा जल विद्युत परियोजनाओं में, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन भूमि के जलमग्न होने से 6 माह पूर्व पूरा किया जाए।

आठ. निजी कंपनी द्वारा भूमि की खरीद किए जाने की स्थिति में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन

किसी निजी कंपनी द्वारा किसी परियोजना के लिए निजी स्तर पर बातचीत करके भूमि की खरीद किए जाने की स्थिति में, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 एकड़ से अधिक हो और शहरी क्षेत्रों में 50 एकड़ से अधिक हो, (क) अर्जन का आशय; (ख) खरीद का प्रयोजन; (ग) खरीदी जाने वाली भूमि का ब्यौरा, के बारे में जिला कलक्टर को अधिसूचित करते हुए एक आवेदन देगी।

तत्पश्चात्, कलक्टर, सभी संगत उपबंधों की संतुष्टि के लिए मामले को आयुक्त, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के पास भेजेगा। तत्पश्चात्, आयुक्त, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन द्वारा अनुमोदित योजना के आधार पर कलक्टर व्यक्तिगत अधिनिर्णय जारी करेगा।

नौ. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेष उपबंध

उपरोक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पैकेजों के अतिरिक्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कुटुम्ब, विधेयक की अनुसूची-2 के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ के भी हकदार होंगे:

- 2.5 एकड़ भूमि या प्रत्येक परियोजना में प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को जितनी भूमि की हानि हुई है उसके बराबर भूमि या सिंचाई परियोजना के मामले में कमान क्षेत्र में 1 एकड़ भूमि।
- प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता।
- जिले से बाहर बसे कुटुंब अतिरिक्त 25 प्रतिशत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभ के हकदार होंगे।
- पहली किस्त के रूप में सर्वप्रथम, प्रतिकर रकम के एक तिहाई का भुगतान।
- उसी संगठित ब्लॉक क्षेत्र में पुन:स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन में प्राथमिकता।
- सामुदायिक और सामाजिक समारोहों के लिए नि:शुल्क भूमि।
- विस्थापन के मामले में, एक विकास योजना तैयार की जाएगी।

दस. संस्थागत ढांचा

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजनों हेतु विधेयक में निम्नलिखित प्राधिकरण अन्तर्निहित हैं:

केन्द्र	राष्ट्रीय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण	• केन्द्रीय परियोजनाओं हेतु विवाद निवारण
	राष्ट्रीय निगरानी समिति	• केन्द्र के स्तर पर पर्यवेक्षण
राज्य	राज्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण	• राज्य परियोजनाओं हेतु विवाद निवारण
	मुख्य सचिव समिति	• यह निर्धारण करने के लिए कि परियोजनाएं लोक प्रयोजन के लिए हैं अथवा नहीं
	राज्य आयुक्त, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन	• राज्य में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु समग्र प्रशासन
परियोजना स्तर	जिला कलक्टर	• समग्र समन्वय और कार्यान्वयन
	प्रशासक, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन	• प्रशासक परियोजना स्तर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति	• पर्यवेक्षण (निर्वाचित प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी, लाइन एजेंसी)

कोई व्यक्ति जिसे अधिनिर्णय स्वीकार्य नहीं है, कलक्टर के माध्यम से मामले को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (एलएआरआर) प्राधिकरण को भेज सकता है। तत्पश्चात् कलक्टर एलएआरआर प्राधिकरण की सूचना हेतु विवरण दर्ज करेगा। प्राधिकरण आवेदक या आपत्ति दर्ज करने वाले व्यक्तियों को एक नोटिस भेजेगा। प्राधिकरण अपनी कार्यवाही सार्वजनिक रूप से करेगा।

विधेयक में यह उपबंध है कि प्राधिकरण द्वारा पारित किसी अधिनिर्णय से पीड़ित कोई व्यक्ति प्राधिकरण के अधिनिर्णय के 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

ग्यारह. राज्यों के लिए विशेष उपबंध

विधेयक सभी राज्यों के एलएआरआर से संबंधित कोई कानून या नीति बनाने की अनुमति देता है बशर्ते वह इस विधेयक के अंतर्गत प्रदान की गई हकदारियों के प्रतिकूल न हो या उनमें कमी न करते हो। तथापि, कोई राज्य अधिक प्रतिकर प्रदान कर सकता है अथवा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ऐसे प्रावधान कर सकता है जो कि विधेयक के अंतर्गत प्रदान किए गए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभों से अधिक हों। यदि राज्य की कोई मौजूदा नीति या कानून, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक में दी गई हकदारियों से अधिक हकदारियां प्रदान करता है तो राज्य उन्हें जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्यों द्वारा निजी पक्षों के लिए किस अनुपात में भूमि का अर्जन किया जा सकता है इस प्रश्न को पूरी तरह से राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया है अर्थात् राज्य किसी भी प्रतिशत में भूमि अर्जन करने के लिए पश्चात् निजी पक्षों के लिए भूमि का अर्जन कर सकते हैं।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (एलएआरआर) विधेयक, 2011 संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशें

स्थायी समिति ने 17 मई, 2012 को प्रस्तुत एलएआरआर विधेयक, 2011 संबंधी अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित सुझावों की सिफारिश की:—

लोक प्रयोजन, सरकारी निजी भागीदारी, निजी कम्पनियों आदि के लिए भूमि का अर्जन

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्र/राज्य सरकारें अवसंरचनात्मक परियोजनाओं या लोक प्रयोजन हेतु परियोजनाओं के लिए भूमि का अर्जन कर सकती है परन्तु, निजी कंपनियों, निजी उद्यमों अथवा सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल हेतु भूमि का अर्जन नहीं कर सकती। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में विद्युत का उत्पादन पारेषण, दूरसंचार, सड़कों, राजमार्गों का निर्माण, रक्षा, विमान पत्तन, रेल खनन, शैक्षणिक, कृषि, जलापूर्ति, सिंचाई, स्वच्छता, जल शोधन आदि से जुड़ी हुई परियोजनाएं शामिल हैं। इसी प्रकार, समुचित सरकार लोक प्रयोजनों जिनका निर्णय स्वयं समुचित सरकार द्वारा लिया जाएगा के लिए भूमि का अर्जन कर सकती है।

भूमि की बिक्री/खरीद

इस बात पर विचार करते हुए कि भूमि की बिक्री/खरीद राज्य का एक विषय है समिति ने यह सिफारिश की है कि राज्य विधानमंडल, अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाकर भूमि की बिक्री/खरीद संबंधी पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रावधान कर सकते हैं। प्रयोजन हेतु सीमा/उच्चतम सीमा का निर्धारण संगत राज्य द्वारा भूमि की उपलब्धता और जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

परिभाषाएं

समिति ने निम्नलिखित परिभाषाओं में कुछ परिवर्तन करने की सिफारिश की:

(एक) *लोक प्रयोजन:*

- लोक प्रयोजन के लिए परिभाषा में बहुद्देश्यीय बांधों और सरकार के खर्च पर निर्मित स्कूल, अस्पताल और पेयजल/स्वच्छता परियोजनाओं सहित लंबी और कम चौड़ी अवसंरचना सिंचाई परियोजनाएं ही शामिल होनी चाहिए।

(दो) *प्रभावित कुटुंब:*

- जनजातियां को बदलकर अनुसूचित 'जनजातियां' किया जाए।
- 'परंपरागत अधिकार' को बदलकर 'वन अधिकार' किया जाए।
- आजीविका प्रयोजनों हेतु तीन वर्षों की अवधि को बढ़ाकर तीन वर्ष या अधिक किया जाए।
- 'प्रभावित व्यक्ति' को बदलकर 'प्रभावित कुटुंब' किया जाए।

(तीन) *कुटुंब:*

- 'कुटुंब' की परिभाषा में विधवाओं, तलाकशुदा और कुटुंबों द्वारा परित्यक्त महिला को एक पृथक कुटुंब माना जाए और संयुक्त भू-धारिता में प्रत्येक व्यक्ति को एक पृथक कुटुंब माना जाए।

स्थानीय स्वशासन की भूमिका

समिति ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आदि प्रक्रियाओं में स्वशासन की स्थानीय संस्थाओं की भूमिका पर बल दिया। ग्राम सभा की भूमिका केवल परामर्श देने तक नहीं अपितु उनकी स्वीकृति भी अनिवार्य होनी चाहिए।

खाद्य सुरक्षा के लिए विशेष उपबंध

समिति ने यह सिफारिश की है कि सिंचित बहुफसली भूमि की बजाय सरकार को पूर्ण खाद्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए किसी भी कृषि भूमि के अर्जन पर विचार करना चाहिए। जिलावार प्रस्तावित 5 प्रतिशत भूमि अर्जन की सीमा के संबंध में समिति ने यह सिफारिश की है कि राज्य सरकार जिला वार या कुल मिलाकर पूरे राज्य के लिए प्रतिशत की सीमा निर्धारित कर सकती है।

विधेयक के उपबंधों से केन्द्रीय अधिनियमों को छूट

समिति ने यह सिफारिश की है कि 16 केन्द्रीय अधिनियमों को विधेयक के क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान न की जाए और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम के बराबर लाने के लिए इन 16 अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएं।

बाजार मूल्य का अवधारण

समिति ने यह सिफारिश की है कि राज्यवार/क्षेत्रवार भूमि अर्जन/प्रतिकर की रकम को अंतिम रूप देने के लिए बहु-सदस्यीय भूमि मूल्य निर्धारण आयोग अथवा प्राधिकरण का गठन किया जाए।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु राज्य मानीटरी समितियां

समिति ने राष्ट्रीय मानीटरी समिति की भूमिका को सीमित करते हुए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की मानीटरी हेतु राज्य मानीटरी समितियों के गठन की सिफारिश की है।

अनुपयोजित भूमि का वापिस किया जाना

समिति ने सिफारिश की है कि विधेयक में प्रस्तावित दस वर्ष की अवधि के स्थान पर सरकार द्वारा कब्जा ले लेने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर यदि भूमि अप्रयुक्त रहती है तो उसे भूमि के मालिक को वापिस कर दिया जाए।

अनुसूचियों को संशोधित करने की सरकार की शक्ति

समिति विधेयक के खंड 99 में किये गये प्रावधान से सहमत नहीं है जिसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार अधिसूचना जारी कर इस विधेयक की किसी भी सूची को संशोधित या परिवर्तित कर सकती है। तदनुसार विधेयक की किसी भी अनुसूची का संशोधन करने के लिए सरकार को संसद के समक्ष संशोधित विधेयक प्रस्तुत करने होंगे। अनुसूचियां प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रावधानों और भूमि खोने वालों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित हैं।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक की समीक्षा (एलएआरआर)

28 अगस्त 2012 को संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में एलएआरआर विधेयक को संशोधित करके मंत्रियों के समूह (जीओएम) को भेजा गया। तत्पश्चात् अक्तूबर 2012 को विधेयक मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

18 दिसम्बर 2012 को संसद के शीतकालीन सत्र में, सरकार ने विधेयक में किये गये 154 संशोधनों की सूची परिचालित की। तथापि विधेयक पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि बहुत से सदस्यों ने अनुरोध किया कि चूंकि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, अत: इसे बजट सत्र के आरंभ में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 (एलएआरआर) के संबंध में सरकार द्वारा सुझाए गये संशोधन

18 दिसम्बर 2012 को सरकार ने 7 सितम्बर 2011 को पुनर्स्थापित किये गये विधेयक के संबंध में 154 संशोधनों की सूची परिचालित की। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं:

विधेयक का पूरा नाम

विधेयक के पूरे नाम में किया गया संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि भूमि अर्जन की प्रक्रिया में संविधान द्वारा संस्थापित स्थानीय स्वशासी सरकार और ग्राम सभाओं से परामर्श किया जायेगा।

विधेयक का संक्षिप्त नाम

विधेयक के संक्षिप्त नाम में प्रस्तावित संशोधन से यह इस प्रकार पठित होगा–''उचित प्रतिकर का अधिकार और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012''।

अधिनियम का लागू होना

लोक प्रयोजन की परिभाषा और अधिनियम प्रयोज्यता को एक साथ मिलाने का सुझाव दिया गया है और लोक प्रयोजन की परिभाषा में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को सम्मिलित करके इस परिभाषा का विस्तार किया गया है:

(i) भारत सरकार के आर्थिक मामले संबंधी विभाग (अवसंरचना विभाग) द्वारा 27 मार्च 2012 को जारी की गई अधिसूचना संख्या 13/6/2009-आईएनएफ में सूचीबद्ध सभी कार्यकलाप और मदें संबंधी परियोजनाएं। इसमें निजी अस्पताल, निजी शैक्षिक संस्थान और निजी होटल सम्मिलित नहीं हैं;

(ii) समुचित सरकार द्वारा या कृषि सहकारिता या सांविधिक रूप से स्थापित किसी संस्थान द्वारा स्थापित या उनके स्वामित्व वाली कृषि प्रसंस्करण, कृषि में अंत:निवेश की आपूर्ति, भंडारगृह, शीतागार सुविधाएं, कृषि तथा अन्य अनुषंगी कार्यकलाप जैसे दुग्ध उद्योग, मत्स्य पालन और मांस प्रसंस्करण आदि के लिये विपणन अवसंरचना उपलब्ध कराने से संबंधित परियोजनाएं;

(iii) राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में निर्धारित औद्योगिक गलियारों, खनन संबंधी कार्यकलापों तथा राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए बनाए जाने वाली परियोजनाएं;

(iv) जल संचयन और जल संरक्षण संरचना, स्वच्छता संबंधी परियोजनाएं;

(v) सरकारी प्रशासन, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक और अनुसंधान योजनाओं या संस्थानों संबंधी परियोजनाएं;

(vi) खेलकूद, स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन व अंतरिक्ष कार्यक्रमों संबंधी परियोजनाएं;

(vii) ऐसी किसी भी अवसंरचना सुविधा जिसे केंद्रीय सरकार ने अधिसूचित कर संसद में प्रस्तुत कर दिया हो, से संबंधित परियोजनाएं।

संशोधन में यह प्रस्ताव किया गया है कि निजी कंपनियों के लिए किए गए भूमि अर्जन में 80% प्रभावित कुटुम्बों की पूर्व सहमति अनिवार्य है। तथापि सरकारी-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के साथ-साथ 70% प्रभावित कुटुम्बों की सहमति अनिवार्य है।

प्रभावित कुटुम्ब

प्रभावित कुटुम्बों की परिभाषा के संबंध में स्थायी समिति की सिफारिशों को यथासंशोधित मान लिया गया है।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए, सरकार संबंधित पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम से परामर्श करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अध्ययन के दौरान उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहे और यह अध्ययन शुरू होने की तारीख से लेकर 6 माह के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। इस अध्ययन की रिपोर्ट संबंधित पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम और जिलाधिकारी के कार्यालय, एसडीएम और तहसील को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा उसे वेबसाइट पर अपलोड करने के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।

यदि आवश्यक हो तो इस अध्ययन के साथ-साथ पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन भी कराया जाना चाहिए।

विशेषज्ञ दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का मूल्यांकन

पंचायत/ग्राम सभा/नगरपालिका/नगर निगम के दो प्रतिनिधियों को विशेषज्ञ दल में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है जो दो गैर-सरकारी वैज्ञानिकों, पुनर्वासन के दो विशेषज्ञों तथा इस विषय के एक तकनीकी विशेषज्ञ के साथ मिलकर इस अध्ययन का मूल्यांकन करेगा।

भूमि अर्जन के प्रस्ताव की जांच हेतु समिति का गठन

भूमि अर्जन के प्रस्ताव की जांच हेतु एक समिति का गठन करने संबंधी उपबंध को हटा दिया गया है। इसकी बजाय, समुचित सरकार को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि: (1) भूमि अर्जन के लिए वैध और सदाशय उद्देश्य हो; (2) संभावित लाभ और उक्त सार्वजनिक प्रयोजन का महत्व सामाजिक लागत और प्रतिकूल सामाजिक समाघात से अधिक हो; (3) इस क्षेत्र में पहले किसी अनुपयोजित भूमि का अर्जन न किया गया हो; और (4) यदि ऐसे कोई अनुपयोजित भूमि है तो उसे उक्त प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की खामियां

विधेयक में यह उपबंध है कि यदि सामाजिक समाघात निर्धारण की आरंभिक अधिसूचना को इस रिपोर्ट की अनुमोदन की तारीख से 12 माह के भीतर जारी नहीं किया जाता है तो रिपोर्ट को व्यपगत माना जाएगा। यदि वर्तमान परिस्थितियां न्यायसंगत हो तो संशोधन सरकार को 12 माह की अवधि को बढ़ाने का अधिकार देता है।

1894 के अधिनियम के अंतर्गत भूमि अर्जन प्रक्रिया

संशोधन यह विनिर्दिष्ट करता है कि:—

(i) यदि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत अधिनिर्णय नहीं दिया गया है तो प्रतिकर अवधारण और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी एलएआरआर अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे;

(ii) यदि 1894 के अधिनियम के अंतर्गत अधिनिर्णय दिया गया है तो 1894 के अधिनियम के उपबंध लागू होंगे;

(iii) यदि भूमि अर्जन कार्यवाही शुरू हो गई है और 1894 के अधिनियम के अंतर्गत अधिनिर्णय दिया गया है किंतु भूमि पर कब्जा नहीं लिया गया है अथवा 5 वर्ष या अधिक के लिए प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसी कार्यवाही को व्यपगत माना जाएगा और एलएआरआर अधिनियम के अंतर्गत नई कार्यवाही शुरू की जाएगी।

संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों द्वारा स्वीकार न किए गए अथवा विरोध के अंतर्गत स्वीकार किए गए प्रतिकर को अदत्त माना जाएगा और जिस व्यक्ति की भूमि का अर्जन किया जाना है यदि उसके खाते में प्रतिकर क्रेडिट कर दिया गया है तो उसे प्रदत्त माना जाएगा।

तोषण प्रदान किया जाना

विधेयक यह उपबंध करता है कि कलेक्टर प्रतिकर का अवधारण करेगा और प्रतिकल राशि के बराबर की राशि के तोषण का अधिरोपण करेगा जो उस व्यक्ति जिसकी भूमि अर्जित की जानी है, को देय प्रतिकर के अतिरिक्त होगा। नए संशोधन में यह सुझाव दिया गया है कि कलेक्टर द्वारा निर्धारित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, ऐसे बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से परिकलित राशि का भी भुगतान किया जाएगा जो सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लेकर अधिनिर्णय देने या भूमि पर कब्जा लेने की तारीख, जो भी जल्दी हो, तक की अवधि के लिए होगी।

बहुविध विस्थापनों के मामले में अतिरिक्त प्रतिकर

एक नए खंड 37क को अंतर्विष्ट किया गया है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि जहां तक संभव हो, कलेक्टर ऐसे किसी कुटुम्ब को विस्थापित नहीं करेगा जिसे भूमि अर्जन के प्रयोजन से पहले ही विस्थापित किया जा चुका है। यदि आवश्यक हो तो दूसरे या परवर्ती विस्थापन के लिए अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा।

अत्यावश्यकता खंड के अंतर्गत विशेष शक्तियां

विधेयक सरकार को भारत की सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न किसी आकस्मिकता के लिए भूमि अर्जन करने और भूमि के बाजार मूल्य के 75% का अतिरिक्त प्रतिकर अदा करने की विशेष शक्तियां प्रदान करता है। संशोधन 'संसद के अनुमोदन से किसी अन्य आकस्मिकता' को जोड़ने के लिए अत्यावश्यकता खंड के दायरे को व्यापक बनाता है। तथापि, ऐसी किसी परियोजना हेतु भूमि अर्जन के लिए अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जाएगा जो देश की संप्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा और सामरिक हितों अथवा अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रभावित करता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध

विधेयक की दूसरी अनुसूची में अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए विशेष उपबंध सूचीबद्ध हैं। विधेयक के मुख्य भाग में इन उपबंधों को लाने के लिए संशोधनों के रूप में दो नए खंड 38क और 38ख अंतर्विष्ट किए गए हैं। इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन अंतिम उपाय के रूप में संबंधित ग्राम सभा या पंचायत या जिला परिषद की पूर्व सहमति से और अधिसूचना जारी होने के पूर्व किया जाना चाहिए।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु राज्य मानीटरी समिति

राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मानीटरी समिति के अतिरिक्त, विधेयक में संशोधन करके एक नया खंड 44क अंतर्विष्ट किया गया है ताकि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के कार्यान्वयन और मानीटरी की समीक्षा के लिए राज्य मानीटरी समिति स्थापित की जा सके।

अनुपयोजित भूमि का वापस किया जाना

विधेयक में मूलत: यह प्रावधान था कि 10 वर्षों तक अनुपयोजित रही अर्जित भूमि को सरकार के 'भूमि बैंक' में वापस किया जाएगा। संशोधन इस अवधि को 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करता है और भूमि को मूल स्वामी या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों अथवा 'भूमि बैंक' को वापस करने का प्रस्ताव करता है जिसे विधेयक में विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है ''सरकारी प्राधिकरण जिसका मुख्य कार्य सरकारी स्वामित्व वाली खाली, परित्यक्त, अनुपयोजित अर्जित भूमियों और कर चोरी वाली संपत्तियों के उत्पादनकारी उपयोग पर ध्यान रखना है''।

श्रीमती मंजू शर्मा, अपर निदेशक और श्रीमती उर्मिला शर्मा, उप निदेशक द्वारा श्री पी.के. मिश्रा, संयुक्त सचिव की देखरेख में संसद सदस्यों के उपयोग हेतु सहायक सामग्री के रूप में तैयार किया गया। यह ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी पर आधारित है और इसका उद्देश्य पृष्ठाधार जानकारी प्रदान करना है। फीडबैक का स्वागत है और इसे lca-lss@sansad.nic.in पर भेजा जा सकता है।